

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/2012/24 68/42
प्रार्थी बनाम

दिनांक - 20/12/24
अप्रार्थीगण

1 नेनूदेवी पत्नी लाभूराम 2 पनाराम पुत्र रूपाराम 3 बाबूलाल पुत्र लाभूराम 4 भुराराम पुत्र रूपाराम 5 मांगाराम पुत्र लाभूराम 6 सुगनी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी घोनरीनाडी, रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर। ग्रामीण

1 अणदाराम 2 आईदानराम 3 किरताराम पिसरान निम्बाराम 4 रामूदेवी पत्नी निम्बाराम जाति जाट निवासी नवजी का पाना तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 5 रेखादेवी पत्नी रिडमलराम 6 हस्तुदेवी पत्नी धुडाराम जाति रावणा राजपुत निवासी नवजी का पाना तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 7 गजेसिंह पुत्र प्रेमसिंह 8 छोटूसिंह 9 नरपतसिंह पिसरान हिन्दुसिंह जाति राजपुत निवासी नवजी का पाना तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 10 दुदाराम पुत्र मनजीराम 11 रूखमोंदेवी पत्नी मनजीराम 12 हीराराम पुत्र मनजीराम जातियान मेघवाल निवासी दक्षिणी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 13 अजाराम 14 चेनाराम पिसरान अमराराम 15 जीयोदेवी पत्नि रेखाराम 16 देवाराम 17 मोमताराम 18 हुकमाराम 19 हरखाराम पिसरान रेखाराम 20 ईशराराम 21 तगाराम पिसरान मगाराम 22 तीजों पत्नि मगाराम 23 मंगलाराम पुत्र खरथाराम 24 मूलाराम 25 रतनाराम पिसरान तेजाराम 26 हीरों पत्नि शोभाराम 27 हरखाराम पुत्र रेखाराम 28 ईशराराम पुत्र मोडाराम 29 कुम्भाराम पुत्र गुमनाराम 30 निम्बाराम पुत्र मोडाराम 31 भूराराम पुत्र गुमनाराम 32 मानाराम 33 रूखी पिसरान लिखमाराम 34 लुम्भाराम पुत्र खेमाराम 35 शेराराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी घोनरीनाडी, रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 442/2024

दिनांक- 11/12/24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा घोनरीनाडी पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 223/129 रकबा 47.8014 हेक्टेयर व खसरा संख्या 128 रकबा 0.0324 भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/6842-46

दिनांक- 20/12/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण नेनूदेवी पत्नी लाभूराम वगैराह जाति जाट निवासी घोनरीनाडी, रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अणदाराम पुत्र निम्बाराम वगैराह जाति जाट निवासी नवजी का पाना तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर